

न्यायालय जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी : शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2017 (रा.अ.)  
पंजीयन दिनांक 18.07.2017

श्री किशनलाल पिता मोतीलाल गाडरी निवासी सिन्दवडी राज्य पटवारी हल्का  
सामरी, तहसील चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार पटवारी हल्का सामरी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला-चित्तौड़गढ़  
(राज.)

-रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 बनाराजगी निर्णय व  
आदेश न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 120/16  
ना.क. कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राज. लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 निर्णय दिनांक  
16.05.2017

उपस्थिति:- 1- श्री सावन श्रीमाली अधिवक्ता, अपीलार्थीगण  
2- श्री मनोहरलाल दक, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 27.08.2019

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने यह  
अपील न्यायालय में इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम सिन्दवडी में  
बाप-दादाओं के समय से अपीलार्थी उक्त मकान का उपयोग- उपभोग करता चला  
आ रहा है। उक्त भूखण्ड की लम्बाई व चौड़ाई 9 बाई 41 फीट होकर कुल  
क्षेत्रफल 369 वर्ग फीट है। उक्त भूखण्ड का उपयोग लगभग 100 वर्षों से कर  
रहा है जिसके पड़ोस पूरब में आम रास्ता, पश्चिम में राजकीय उच्च प्राथमिक  
विद्यालय, उत्तर में मांगीलाल का मकान व दक्षिण में शान्तिलाल का मकान है।  
उक्त भूखण्ड पर अपीलार्थी का कब्जा उक्त भूमि स्कूल उपयोग में दिए जाने से  
पूर्व से ही चला आ रहा है जो कि नियमन योग्य है। पटवारी हल्का सामरी की  
रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सिन्दवडी की स्कूल भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण  
मानते हुए अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक

  
जिला कलेक्टर  
चित्तौड़गढ़



16.05.2017 को लगान का 50 गुणा शास्ति एवं बेदखल किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने से बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि अपीलार्थी का ग्राम सिन्दवडी में बाप-दादाओं के समय से मकान स्थित होकर बाप-दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है उक्त सम्पत्ति के अलावा पशुधन बांधने एवं कृषि सामग्री रखने के लिए अन्य कोई स्थान नहीं है। उक्त भूखण्ड विद्यालय के नाम उपयोग में दिये जाने से पूर्व से ही अपीलार्थी का उक्त भूखण्ड पर कब्जा चला आ रहा है जो कि नियमन योग्य है। मौके पर लाखों रुपये की लागत लगाकर अपीलार्थी ने निर्माण किया है तथा कब्जे के आधार पर नियमन के प्रावधान है तथा सरकार का उद्देश्य भी जनता के लिए मकान उपलब्ध कराना है। तहसील चित्तौड़गढ़ के पटवार हल्का सामरी की रिपोर्ट के आधार पर मौजा सिन्दवडी की आराजी नम्बर 65 रकबा 20x40 वर्ग फीट पर अपीलार्थी का अतिक्रमण मानते हुए दिनांक 16.05.2017 को अपीलार्थी को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये पटवार हल्का द्वारा पेश किये गये दस्तावेज के आधार पर कब्जा मानते हुए बेदखली व जुर्माने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात पर अपीलार्थी का पुराना कब्जा होकर पूर्वजों से चला आ रहा है जो नियमन योग्य कब्जा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.17 निरस्त कर विवादित आराजीयात का नियमन आदेश अपीलार्थीगण के नाम जारी किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिन्दवडी की भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को सूचना पत्र जारी किया गया है तथा अपीलार्थी अधीनस्थ कार्यालय में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित भी हुआ है साक्ष्य स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 08.07.2016 पर



जिसा कलेक्टर  
चित्तौड़गढ़




अपीलार्थी के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं। अतः अपीलार्थी का कथन कि बिना सुनवाई का अवसर दिए आदेश पारित किया है मानने योग्य नहीं है।

पटवारी हल्का सामरी की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी का ग्राम सिन्दवडी की आराजी नम्बर 65 कुल रकबा 0.19 है. में से 20x40 वर्ग फीट भूमि पर अतिक्रमण है जो कि उक्त भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिन्दवडी के नाम पर है साथ ही विद्यालय भूमि पर अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के संबंध में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को शिकायत भी प्रस्तुत की है जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः विद्यालय भूमि पर कब्जे/अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में नियमन योग्य नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सिन्दवडी की भूमि पर अवैध अतिक्रमण सिद्ध पाया जाता है। निष्कर्षतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने एवं लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने संबंधी पारित आदेश विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2017 यथावत रखा जाता है।

“निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।”



  
(शिवांगी स्वर्णकार)  
जिला कलेक्टर  
चित्तौड़गढ़